

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक २२/१२/२०२३
क्रमांक एफ १-१/२०१९/१८:: प्रदेश के नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम १९५६ की धारा ९ उपधारा (१) खंड (ग) अथवा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम १९६१ की धारा १९ उपधारा (१) खंड (ग) के प्रावधानान्तर्गत नामांकित पार्षद के रूप में (एल्डरमेन एवं दिव्यांग मनोनित सदस्य) की गई नियुक्तियां राज्य शासन एतद्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. अय्याज एफ तम्बोली)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृष्ठा.क्र.एफ १-१/२०१९/१८

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /१२/२०२३

प्रतिलिपि:-

- संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.)।
- समस्त जिला—कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
- समस्त संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़।
- समस्त महापौर/आयुक्त, नगर पालिक निगम छत्तीसगढ़।
- समस्त अध्यक्ष/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् छत्तीसगढ़।
- समस्त अध्यक्ष/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत छत्तीसगढ़।
- समस्त नामांकित पार्षद के नाम से
- प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर वेबसाइट में अपलोड करने बाबत्।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित
- आर्डर बुक

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग